अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माणी को निर्धारित संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षुता मुहैया करवानी होती है किन्तु प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को खपाये जाने का दायित्व निर्माणी का नहीं होता है । प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद व्यवसाय प्रशिक्षु कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । आयुध निर्माणियों में उन्हें खपाये जाने पर भी विचार किया जाता है जब अधिसूचित रिक्तियों के लिये अन्य अभ्यर्थियों के साथ उनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजा जाता है । पहले से ही उपलब्ध अधिक जनशक्ति को देखते हुये प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित निर्माणियों में मार्च 1994 तक चार वर्षों में व्यवसाय प्रशिक्षुओं सहित कोई भर्ती नहीं की गई है ।

Deployment of Prithvi missile

342. SHRI SIKANDER BAKHT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Prithvi Missile has been handed over to the Army for deployment;

(b) if not, what are the reasons therefor; and

(c) by when Government propose to make the missile available to the Armed Forces for thier use?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) The Phase of User Trials has been recently concluded. Subsequent activities are being progressed.

Pilferage of spare parts of MIG fighter planes

343. PROF.O. P. KOHLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there have been cases of pilferage of spare parts of MIG fighter aircraft from the Hangars;

(b) if so, the details of such cases and the circumstances under which all this could happen;

(c) whether any probe has been made into these thefts and if so, the outcome thereof;

(d) whether this has marked a question mark of the security of defence equipment and what steps have been taken to further tighten the security arrangements; and

(e) the total number of thefts that have come to light in the defence installations in the country, with details thereof as also the final outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) No thefts have been reported to MIG spare parts from IAF hangars.

(b) to (d) Do not arise.

(e) As regards the IAF, there have been some minor cases of theft of airfield lights, aircraft batteries and bullet proof plates. These have been investigated and appropriate measures taken to tighten the security.

बिहार के नेतरहाट क्षेत्र में युद्धाभ्यासों के विरुद्ध अभ्यावेदन

344. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार के नेतरहाट क्षेत्र में युद्धाभ्यास रोके जाने के लिये राज्य सरकार अथवा स्थानीय लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उस क्षेत्र में ये युद्धाभ्यास कब से किये जा रहे थे और इस विवाद के उठने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज एक अधिसूचित फायरिंग रैंज है और सेना वर्ष 1956 से इसका उपयोग कर रही है । सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये संघट्ट क्षेत्र, कैम्पिंग ग्राउंड आदि के लिये कुछ भूमि का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना शुरू की गई गई थी । स्थानीय जनता ने मांग की थी कि आदिवासी जनता और पारिस्थितिकी के हितों को देखते हुये परियोजना को रद्द कर दिया जाये ।

स्थानीय जनता के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुये बिहार सरकार के साथ बातचीत करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने इस पायलट परियोजना पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है ।

Crash of army helicopter

345. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether an army helicopter crashed sometime in September, 1994 killing a Major General and some other officers;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the findings of the court of inquiry which inquired into the crash; and

(d) what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A Cheetah helicopter piloted by Major JP Singh and Maior BK Deka was on an operational reconnaisance sortie in East Sikkim on 21 September 1994 with Major General KH Palande, AVSM General Officer Commanding 27 Infantry Division and Lt Col MP Singh GSO 1 (Ops) on board. The helicopter crashed at 0933 hours soon after its being airborne at approximately 0930 hours. A court of inquiry has been ordered on 22 September 1994. The terms of reference of the court of inquiry, require it to investigate the circumstances of the accident and determine its cause and also to recommend remedial measures to prevent recurrence of similar accidents. Report of the court of inquiry has yet to be received.

कच्छ में तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की रोकथाम हेतु कोस्ट गार्ड

346. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभा पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार, देश की सुरक्षा हेतु कच्छ की विशाल मरूभूमि और समुद्र-तटीय सीमा पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों एवं तस्करी को प्रतिबंधित करने के लिये जखो खाड़ी पर कोस्ट गार्डों की तैनाती के संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार ने कोस्ट गार्ड के लिये कोई जमीन अभिगृहीत की है तथा कब तक कोस्ट गार्ड की योजना पूरी होने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तटरक्षक, गुजरात राज्य में स्थित जाखो खाड़ी में एक स्टेशन स्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है ।

(ख) सरकार इस उद्देश्य के लिये भूमि तथा भवनों का अधिग्रहण करने के वास्ते राज्य सरकार से संपर्क बनाये हुये हैं ।